न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मुकेश बारैठ {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 93/2017

1. बलतेज सिंह पुत्र सुखदेव सिंह उर्फ बेअन्त सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर।
2. लवप्रीत सिंह पुत्र बलतेज सिंह जाति जटसिख निवासी चक 7 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर।

--वादीगण--

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। --प्रतिवादी--

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) * श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) *

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर टी ए

--निर्णय-- दिनांक : 07.11.2017

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 7 डब्ल्यू की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 32 के मु0न0 3 की 4.048 हैक्टर, मु0 न0 19 की 3.795 हैक्टर नहरी रकबा कुल 7.843 हैक्टर नहरी रकबा वादीगण संख्या 1 बलतेज सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदार दर्ज है। वादीगण का उक्त रकबा के संबंध मे घरेलू बंटवारा हो चुका है। घरेलू बंटवारा मे चक 7 डब्ल्यू के खाता संख्या 32 की 7.843 है0 नहरी रकबा मे से वादीगण संख्या 1 बलतेज सिंह अपना 1.771 है0 नहरी रकबा वादीगण संख्या 2 को देगा। इसी प्रकार चक 7 डब्ल्यू के खाता संख्या 32 की 7.843 है0 नहरी रकबा मे से 1.771 है0 नहरी रकबा वादीगण संख्या 2 लवप्रीत सिंह अपने नाम तथा इसी खाता का शेष रकबा 6.072 है0 नहरी रकबा वादीगण संख्या 1 अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। घरू बंटवारा मुताबिक वादीगण अपने अपने हिस्सा पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण उक्त भूमि को घरेलू बंटवारे मे प्राप्त रकबा को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवाने के अधिकारी है। दावा दायर से दो दिन पूर्व वादीगण प्रतिवादी से मिले और घरेलू बंटवारे के मुताबिक रकबा वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करने के लिए कहा तो प्रतिवादी ने साफ इंकार कर दिया। यही वाद कारण है। दावा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र निम्न प्रकार से डिकरी किया जावे- चक 7 डब्ल्यू के खाता संख्या 32 के मु0 न0 3 व 19 की कुल 7.843 है0 रकबा मे वादी संख्या 2 लवप्रीत सिंह को 1.771 है0 नहरी रकबा तथा वादी संख्या 1 बलतेज सिंह को शेष रकबा 6.072 है0 रकबा का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जावे एवं अन्य कोई अनुतोष हो तो वादीगण को दिलाया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पैरोकार राज के द्वारा जवाब स्टेट पेश किया। जवाब स्टेट के अनुसार वाद पत्र की मद संख्या 1 लाईल्मी होने के कारण अस्वीकार है। मद संख्या 2 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार स्वीकार है। मद संख्या 3 लाईल्मी होने के कारण अस्वीकार है। मद संख्या 4, 5 अस्वीकार है। वादीगण कभी भी प्रतिवादीगण से नही मिले। मद संख्या 6 कानूनी है, इसलिए स्वीकार है।

वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि जवाब स्टेट पेश हो चुका है। वादीगण घरेलू बंटवारा अनुसार वादपत्र डिगरी करवाने में सहमत है। प्रकरण में किसी का कोई एतराज नही है। वादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जो घरेलू बंटवारा अनुसार विवादित भूमि पर काबिज काश्त है। इसलिए प्रकरण में वादविन्दु कायमी एवं साक्ष्य की आवश्यकता नही है। वादपत्र अनुसार डिगरी जारी की जावे। वकील वादीगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण अपने नाम दर्ज भूमि को घरेलू बंटवारा अनुसार दर्ज करवाना चाहते है। किसी का कोई एतराज नही है। वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत एवं पैरोकार राज के द्वारा पेश जवाब स्टेट के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 7 डब्ल्यू की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 32 के मु0 न0 3 व 19 की कुल 7.843 है0 नहरी रकबा मे वादी संख्या 2 लवप्रीत सिंह पुत्र बलतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 7 डब्ल्यू के नाम 1.771 है0 नहरी रकबा दर्ज किया जावे एवं शेष रकबा वादी संख्या 1 बलतेज सिंह के नाम दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

रहन फक होने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे नियमानुसार अंकन किया जावे। पर्चा डिगरी इसी आशय का जारी हो। पर्चा डिगरी की एक प्रति राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्रेषित की जावे। इस संबंध में कोई राजस्व हानि होगी तो वह संबंधित पक्षकार वहन करेगें। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर *श्रीगंगानगर*

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

{आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

ब अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री मुकेश बारैठ, आर.ए.एस.

बलतेज सिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार
दावा 53,88 आर.टी.ए मुकदमा नं0 93/2017
निर्णय दिनांक :- 07.11.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री वाई. एस. सैनी, रामदास सोलंकी एवं प्रतिवादी पैरोकार राज** पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि -

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 7 डब्ल्यू की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 32 के मु0 न0 3 व 19 की कुल 7.843 है0 नहरी रकबा मे वादी संख्या 2 लवप्रीत सिंह पुत्र बलतेज सिंह जाति जटसिख निवासी 7 डब्ल्यू के नाम 1.771 है0 नहरी रकबा राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जावे एवं शेष रकबा वादी संख्या 1 बलतेज सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जावे।

रहन फक होने पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे नियमानुसार अंकन किया जावे। पर्चा डिगरी की एक प्रति राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्रेषित की जावे। इस संबंध में कोई राजस्व हानि होगी तो वह संबंधित पक्षकार वहन करेगें।

आज दिनांक..07.11.2017..को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	0	--
योग	04	00	योग	04	00

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुहर

दिनांक :- 07.11.2017

क्रमांक :- राजस्व/17/819
प्रतिलिपि : तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner